11-8-2020

पत्रावली आज पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी विजय त्रिवेदी पुत्र गोविन्द जी त्रिवेदी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– शाहजी की बाडी, नगर परिषद् के पास, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री सांईनाथ एजेन्सी, बस स्टेण्ड के पास, मेन मार्केट, सिरोही उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी विजय त्रिवेदी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 19.8.2020 को मेरे मामाजी के ऑपरेशन के कारण मुम्बई जाने से उपस्थित नही हो पाउंगा, इसलिये मेरे मुकदमें की आज ही सुनवाई कराये

.......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.21/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	प्रतिवादी विजय त्रिवेदी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकरण की पत्रावली आज दिनांक 11.8.2020 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रतिवादी विजय त्रिवेदी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 10.11.2019 को जिस स्वीट सुपारी आन्टी नं.1 का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने जांच हेतु लिया था वह मेरी फर्म श्री साईनाथ एजेन्सी, सिरोही द्वारा बेचा गया है जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सेकरिन युक्त पाया गया है। यह सुपारी मुझे सेल्स प्रमोशन स्कीम के तहत बिक्री हेतु प्राप्त हुई थ जिसका बिल नही दिया गया था। मैं भविष्य में बिल सहित माल का बेचान करुंगा। मैं स्वयं की गलती स्वीकार करता हूँ, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने कृत्रिम स्वीटनर सेक्रीनयुक्त (Contains Artificial Sweetener Saccharin) खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (आन्टी नं.1 ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह व्यक्त किया कि वह छोटा व्यापारी है एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। यह उसका प्रथम अपराध है, इसलिये कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.11.2019 को प्रतिवादी विजय त्रिवेदी की फर्म श्री साईनाथ एजेन्सी, बस स्टेण्ड के पास, मेन मार्केट, सिरोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विजय त्रिवेदी से खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (आंटी नं.1 ब्राण्ड) के 20 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 111 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (आन्टी नं.1 ब्राण्ड) के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./976/Act/2019/996 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कृत्रिम स्वीटनर सेक्रीनयुक्त (Contains Artificial Sweetener Saccharin) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (आंटी नं.1 ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी विजय त्रिवेदी ने कृत्रिम स्वीटनर सेक्रीनयुक्त (Contains Artificial Sweetener Saccharin) खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (आंटी नं.1 ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य .....लगातार	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.21/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 54 के तहत प्रतिवादी विजय त्रिवेदी पुत्र गोविन्द जी त्रिवेदी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– शाहजी की बाड़ी, नगर परिषद् के पास, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री सांईनाथ एजेन्सी, बस स्टेण्ड के पास, मेन मार्केट, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी विजय त्रिवेदी पुत्र गोविन्द जी त्रिवेदी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– शाहजी की बाडी, नगर परिषद् के पास, सिरोही, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 26.8.2020 को पेश हो। (गितेश श्री मालवीया) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested